



29/6/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस उभय पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। विद्वान वकील अप्रार्थी सं० 2 व 4 ने मुताबिक इकबालिया जबाब पत्थरगढी करने पर कोई एतराज नही होने व विद्वान वकील अप्रार्थी सं० 3 ने उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बाद तस्दीक सीमाज्ञान पत्थरगढी करने पर कोई एतराज नही है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। अतः समस्त सहखातेदारान, पडौसी खातेदारान व उभयपक्षकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

  
(ब्रजेश कुमार)  
ब्रजेश कुमार  
उपरखण्ड अधिकारी  
नामकाथाना (सीकर)  
नामकाथाना

### आदेश

प्रा० पत्र० 233 / 2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नामकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सिरौही तहसील  नामकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 585, 591 लगायत 594, 597, 598 की खातेदारान, सहखातेदारान, पडौसी खातेदारान व पक्षकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2021 उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर

पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)